

कार्यालय आदेश 103/11

रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 40/2012 दि. 23.03.2012 के अनुपालन में श्रीमद्विश्वनाथ खलसी डेप्युटी वरिष्ठान में वर्तमान में टेक्नीशियन का वेतन वृद्धि फरवरी से जून के मध्य होने के कारण एक वेतन वृद्धि देते हुए पूर्व वेतन आयोग के तहत वेतन का पुनर्निर्धारण किया गया, फलस्वरूप वेतन/पदोन्नति पर जारी आदेश सं. 59/10 दि. 16.03.2010, आदेश सं. 90/10 दि. 09.06.10 एवं कार्यालय आदेश सं. 247/12 निर्धारित वेतन निम्नवत संशोधित किया गया है।

पूर्व का वेतन	संशोधित वेतन
6530 + 1800 = 8330 - 01.01.06	6660 + 1800 = 8460 - 01.01.06
6780 + 1800 = 8580 - 01.07.06	6920 + 1800 = 8720 - 01.07.06
7040 + 1800 = 8840 - 01.07.07	7190 + 1800 = 8990 - 01.07.07
7310 + 1800 = 9110 - 01.07.08	7460 + 1800 = 9260 - 01.07.08
7590 + 1800 = 9390 - 01.07.09	7740 + 1900 = 9640 - 01.09.08
7590 + 1900 = 9490 - 01.09.08	8030 + 2000 = 10030 - 01.09.08
7880 + 2000 = 9880 - 01.09.08	8330 + 2000 = 10330 - 01.07.09
8180 + 2000 = 10180 - 01.06.10	8330 + 2000 = 10330 - 01.06.10
8490 + 2000 = 10490 - 01.07.10	8640 + 2000 = 10640 - 01.07.10
8810 + 2000 = 10810 - 01.07.11	8960 + 2000 = 10960 - 01.07.11
8810 + 2400 = 11210 - 25/26.06.12	8960 + 2400 = 11360 - 25/26.06.12
	9290 + 2400 = 11690 - 01.07.12
	9640 + 2400 = 12040 - 01.07.13
	10010 + 2400 = 12410 - 01.07.14
	10390 + 2800 = 13190 - 15.03.14
	10790 + 2800 = 13590 - 01.07.15
	7.th.Pc
	35900 - 01.01.16
	37000 - 01.07.16

सं. का/या/पीसी/श्रीमद्विश्वनाथ/टेक्नीशियन/मधुवाडी/दि. 01.07.17

कृते म. र. प्र. (का)
नारायणी
दि. 01.07.17

प्रतिनिधि - सूचनाएं स्वयं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- ① वमयाई (समाधि)। व. म. वि. प्र. / वाराणसी।
- ② मु. कार्याधी (याँ पिल)।
- ③ का. आ. पु. / सम्बन्धित कर्मचारी।
- ④ म. मन्त्री नरमु. / श्री. बी. सी. / स्प. सी. एस. टी. शखी / वाराणसी।
- ⑤ अन्य प्रति।

कृते म. र. प्र. (का)
नारायणी
दि. 01.07.17